तारीख हुक्म	**न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी** **बउनवान राज्य बनाम राजूलाल वगैरह** **प्रकरण संख्या–467/2024**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हुआ जो स्वीकार किया गया। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थी/परिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.06.2026 का निस्तारण किया जा रहा है। जिसका जवाब अप्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पेश नहीं किया गया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/परिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण की घटना के संबंध में परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य एक क्रॉस केस दर्ज है, जो माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के.पाटन के यहां जैरकार है और बहस चार्ज के स्तर पर है, चूंकि एक ही घटना के दो प्रकरण भिन्न–भिन्न न्यायालय में चल रहे है, जबकि संपूर्ण घटना एक ही घटनास्थल की है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण की पत्रावली को भी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के.पाटन के न्यायालय में स्थानांतरित कराने की कृपा करावे। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया गया। सुना गया। बहस के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा परिवादी की ओर से पेश दस्तावेज एफआईआर संख्या 298/2023 के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट आता है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी व अभियुक्तगण द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध एक ही घटना को लेकर क्रॉस केस प्रकरण दर्ज करवाये गए हैं और इसी संबंध में एक नोट हस्तगत प्रकरण के आरोप पत्र के साथ भी पेश किया गया है और न्यायालय हाजा के फौजदारी लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना से संबंधित प्रकरण संख्या 298/2023 माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के.पाटन को पूर्व में कमिट किया जा चुका है। चूंकि हस्तगत प्रकरण तथा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के. पाटन के समक्ष कमिटेड प्रकरण एक ही घटना को लेकर परिवादी व अभियुक्तगण द्वारा क्रॉस मुकदमे के रूप में दर्ज कराये गए हैं और यदि उक्त दोनों मुकदमे भिन्न–भिन्न न्यायालयों में विचारित किए जाते हैं तो भिन्न–भिन्न निर्णय की संभावना है। ऐसी स्थिति में धारा 323 सीआरपीसी के प्रावधानों कें अध्ययधीन हस्तगत प्रकरण माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के.पाटन में	

	विचारण हेतु सुपुर्द किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/परिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के.पाटन के न्यायालय में पूर्व प्रकरण संख्या 298/2023 थाना के.पाटन का क्रॉस केस होने से उक्त प्रकरण के साथ विचारण हेतु सुपुर्द किया जाता है। कमीटल की सूचना विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली इस न्यायालय के नंबर से कम होकर अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.09.2026 से पूर्व माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, के.पाटन को प्रेषित हो। **(डॉ. ऋचा चायल)** **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** **के.पाटन जिला बून्दी**